भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 373
दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आवंटित निधि

373. श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कई राज्यों ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीमी) के अंतर्गन आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है और अब तक आवंटित बजट का केवल लगभग 59 प्रतिशत ही उपयोग किया गया है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो राज्य-वार इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने उक्त सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने और इसकी गति बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का विचार डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के दूसरे चरण का विस्तार करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि का पूर्ण और समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) और (ख): डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत, भूमि संसाधन विभाग ने 12972.86 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 8487.97 करोड़ रुपये) की कुल लागत से 28 राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को 52.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली कुल 1220 वाटरशेड विकास परियोजनाओं की मंजूरी दी है। अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 5498.62 करोड़ रुपये (64.78%) का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है और 8082.52 करोड़ रुपये (राज्य के हिस्से सहित) का उपयोग हुआ है, जो कुल

परियोजना लागत का 62.30% है। कुल परियोजना लागत, जारी केंद्रीय हिस्से और उपगत व्यय का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): विभाग, समीक्षा बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के माध्यम से डब्ल्यूडीसी 2.0 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है और जहाँ भी वाटरशेड परियोजनाओं के प्रभावी, त्वरित और समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक हो, वहां प्रभारी मंत्री, सचिव और संयुक्त सचिव की ओर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, योजना को लागू करने वाले विभाग के मंत्रियों, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके हस्तक्षेप और पर्यवेक्षण के लिए अ.शा. पत्र लिखे जा रहे हैं। इसके अलावा, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गहन निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा, समीक्षा बैठकें और नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जाती हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं को प्रभावी और समय पर पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 10.11.2025 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवंटित निधियों का उपयोग करके प्रगति को गति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

विभाग ने" *जनभागीदारी* " के माध्यम से कम्युनिटी ड्रिवन वाटरशेड विकास को पूरा करने के लिए दिनांक 5 फरवरी, 2025 से 26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत परियोजना क्षेत्रों में एक मास आउटरीच कैंपेन कम स्पेशल ड्राइव, "वाटरशेड यात्रा" भी शुरू की है। वाटरशेड यात्रा की गति को बनाए रखने के लिए, वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों में मृदा और जल संरक्षण के कार्यों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने, स्थानीय निवासियों में स्वामित्व की भावना पैदा करने और वाटरशेड परियोजनाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजित करने के लिए जनभागीदारी कप की भी शुरुआत की गई है।

विभाग ने दिनाक 11 नवंबर' 2025 को गुंटूर में एक देशव्यापी अभियान 'वाटरशेड महोत्सव' भी शुरू किया गया है जिसे प्रत्येक वाटरशेड परियोजना क्षेत्र में मनाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, वाटरशेड कार्यकलापों/कार्यों को बढ़ावा देना और डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उपलब्ध निधि के प्रभावी उपयोग में तेजी लाना है।

*****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 373 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत स्वीकृत परियोजनाएं, कुल परियोजना लागत, जारी केन्द्रीय हिस्सा और उपगत व्यय का राज्य-वार विवरण

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत	कुल केंद्रीय हिस्सा	जारी केंद्रीय हिस्सा		कुल परियोजना लागत की तुलना में व्यय	
					राशि	%	राशि	(%)
1	आंध्र प्रदेश	59	555.31	333.19	201.30	60.42	321.77	57.94
2	अरुणाचल प्रदेश	68	422.56	380.31	320.69	84.32	325.98	77.14
3	असम	38	371.36	334.23	220.55	65.99	236.15	63.59
4	बिहार	35	440.97	264.58	165.64	62.60	264.02	59.87
5	छत्तीसगढ	45	613.66	368.20	219.14	59.52	354.29	57.73
6	गोवा	5	55.96	33.57	10.54	31.41	13.42	23.98
7	गुजरात	51	687.81	412.68	278.09	67.39	454.11	66.02
8	हरियाणा	9	80.59	48.36	20.25	41.88	31.02	38.50
9	हिमाचल प्रदेश	35	187.24	168.51	84.48	50.12	103.65	55.36
10	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	19	194.58	194.58	98.91	50.83	106.54	54.75
11	झारखंड	30	393.53	236.12	144.35	61.13	235.85	59.93
12	कर्नाटक	78	769.67	461.80	403.49	87.37	650.48	84.51
13	केरल	6	73.26	43.95	32.39	73.69	49.75	67.90
14	मध्य प्रदेश	91	1207.35	724.41	519.77	71.75	847.95	70.23
15	महाराष्ट्र	140	1251.14	750.68	476.93	63.53	746.69	59.68
16	मणिपुर	13	164.33	147.90	38.81	26.24	31.97	19.45
17	मेघालय	32	175.64	158.08	126.90	80.27	124.98	71.15
18	मिजोरम	20	138.88	124.99	118.61	94.89	121.33	87.36
19	नगालैंड	14	140.06	126.05	80.64	63.97	82.88	59.18
20	ओडिशा	60	842.06	505.24	391.60	77.51	648.79	77.05
21	पंजाब	7	80.83	48.50	17.63	36.35	27.54	34.08
22	राजस्थान	159	1990.36	1194.22	714.93	59.87	1160.27	58.29
23	सिक्किम	9	84.98	76.49	34.30	44.84	37.60	44.24
24	तमिलनाडु	34	368.66	221.20	172.70	78.08	292.03	79.21
25	तेलंगाना	35	368.07	220.84	109.74	49.69	154.11	41.87
26	त्रिपुरा	19	89.60	80.64	67.36	83.53	74.49	83.14
27	उत्तर प्रदेश	56	580.67	348.39	175.04	50.24	253.57	43.67
28	उत्तराखंड	15	232.26	209.03	95.46	45.67	104.81	45.13
29	पश्चिम बंगाल	27	350.60	210.36	132.36	62.92	202.02	57.62
30	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	11	60.86	60.86	26.05	42.80	24.47	40.21
	कुल	**1220**	**12972.85**	**8487.98**	**5498.62**	**64.78**	**8082.52**	**62.30**

**संसूचित व्यय में राज्य का हिस्सा भी शामिल है।*

*****